न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 कैम्प रीवा

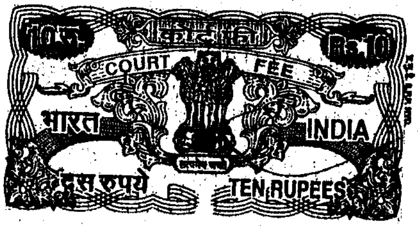

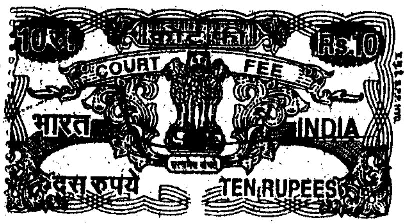

4
19-6-12

(65)

R 2020-I/12

श्रीमती सीमा पति शिवसागर ब्रा॰ निवासी ग्राम खड़ौरा थाना जियावन तहसील देवसर जिला सिंगरौली {म0प्र0}

आवेदिका

बनाम

1. जगदीश प्रसाद तनय बृजवासी राम ब्रा॰ निवासी ग्राम खड़ौरा तहसील देवसर जिला सिंगरौली {म0प्र0}
2. फूलमती पत्नी शिवपतिराम ब्रा॰ {फौत}
3. सरपंच ग्राम पंचायत गिधेर जनपद पंचायत देवसर जिला सिंगरौली {म0प्र0}
4. सचिव ग्राम पंचायत क्षेत्र गिधेर जनपद पंचायत देवसर जिला सिंगरौलीम0प्र0
5. लखपति राम
6. विनय कुमार
7. लवकुश प्रसाद
8. कुश प्रसाद

} तनय लोलरराम ब्रा॰ निवासी ग्राम पराई तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली {म0प्र0}

अनावेदकगण

क्रमांक 1688 आज प्राप्त 19-6-12

अधिवक्ता श्री ए.पी. शर्मा द्वारा प्रस्तुत रीवा, दि0 31-05-2012
31-5-12

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी देवसर जिला सिंगरौलीम0प्र0 प्रकरण क्र0 93/अपील/06-07 आदेश दि0 5.3.12

निगरानी अंतर्गत धारा 50म॰ प्र॰ भू॰ रा॰ सं॰

मान्यवर,

निम्नांकित आधारो पर निगरानी पेश है:-

{1} यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से काबिल निरस्तगी है ।

{2} यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक क्रमांक 5 से 8 को तलब किए बिना ही उन्हे पक्षकार बनाया है तथा मृतक उत्तरवादी क्र॰ 2 के कोई वारिस न होने के बाद भी अनावेदक क्र॰ 5 से 8 को पक्षकार बनाया है जबकि वादग्रस्त भूमि ग्राम गिधेर तहसील देवसर की है जिसे मृतक अनावेदक क्र॰ 2 के द्वारा विक्रय कर नामान्तरण करा दिया गया था तथा ग्राम गिधेर में कोई भी अन्य भूमि अब मृतक फूलमती के नाम नही है फिर भी अनावेदक क्र॰ 5 से 8 को पक्षकार बनाने का आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तगी

31-5-12

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.2020–I/12 जिला–सिंगरौली

सीमा/जगदीश प्रसाद

(1)	(2)	(3)
22.03.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	